छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 29 नवम्बर,2019 (अग्रहायण 8,1941)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन,छत्तीसगढ़ शासन,(वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या–1) पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4–20/2016/18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017 पटल पर रखेंगे।

(4) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 5062/1405/18/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम, 2010 पटल पर रखेंगे।

(5) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4–14/2017/18, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रविवेदन वर्ष 2017–18 पटल पर रखेंगे।

3. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चन्देल, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, खैरागढ़ नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत जल आवर्धन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य,बिलासपुर शहर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री धनेन्द्र साहू,सदस्य, प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में विलंब होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, प्रदेश में अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर चांपा एवं बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री धनेन्द्र साहू , लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के द्वारा जन–धन को हानि पहुॅंचाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के सक्ती नगर अंतर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम गोदाम में रखा चांवल भीग जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा संभाग के रामपुर डिवीजन के जर्वे–ब सब डिवीजन के अंतर्गत नहर लायनिंग कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध बिकी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(12) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, सदस्य, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व वन क्षेत्रों में वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, रेडियंट वे स्कूल, रायपुर की छात्रा के तीन मंजिल छत से गिर जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा पौध संरक्षण औषधियों/कीटनाशक औषधियों को जांच हेतु अनाधिकृत प्रयोगशाला में भेजा जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा अमानक बीजों का वितरण किया जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री नारायण चन्देल,सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के धान संग्रहण केन्द्रों में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री नारायण चन्देल, सदस्य, प्रदेश में बीज निगम द्वारा किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए उपकरण बांटने में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री संतराम नेताम, सदस्य, कांकेर–बांसकोट–माकड़ी–अमरावती मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नतिकरण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, उरला, सिलतरा क्षेत्र के उद्योग प्रबंधन द्वारा मजदूरों को टूरिस्ट वीजा की आड़ में विदेश भेजा जाकर बंधक बनाया जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड अंतर्गत संचालित सेवा सहकारी समिति करूमहू में हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री नारायण चन्देल, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के शासकीय स्कूलों के भवन जर्जर होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में स्कूली बच्चों को सप्लाई किये जा रहे सोया मिल्क की गुणवत्ता घटिया होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, जिला राजनांदगांव के साल्हेवारा क्षेत्र में खनिज का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरिया जिले में संचालित एसईसीएल की झिलमिली अंडर ग्राउण्ड माईन्स में दो मजदूरों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) गोकुलपुर वार्ड धमतरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम देवरी से दोनर पहुंच मार्ग का पुल निर्माण सहित डामरीकरण करने,

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दर्री–धूमा–सिलपहरी तक सड़क निर्माण करने,

(3) सुश्री शकुन्तला साहू, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम धारासिंव में हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

(ii) ग्राम कुसुमसरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

(4) श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर,सदस्य, महासमुंद जिला अस्पताल को 100 बिस्तर से 200 बिस्तर करने,

(5) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माहुद (बी) में महाविद्यालय भवन निर्माण करने,

(6) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला– जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम जावलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने, तथा

(7) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, विकासखण्ड बस्तर अंतर्गत ग्राम टाकरागुड़ा में हाई स्कूल भवन निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय
1 घंटा

(4) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 5

निर्धारित समय

1 घंटा (5) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (6) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक,2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (7) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक,2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में हाथियों के उत्पात से हो रही जन–धन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

8. अशासकीय संकल्प

45 मिनट (1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ की जावे।"

1 घंटा (2) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी, झगराखांड, लेदरी, खोंगापानी, चरचा के पुनर्वास हेतु विशेष राहत पैकेज के तहत् 10,000 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाय।"

45 मिनट (3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी का गठन किया जाय।"

रायपुर,
दिनांक 28 नवम्बर, 2019

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.